संख्या-49/2016/1058/एक-6-2016-15(11)/2015

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक में राजस्व परिषद अधिष्ठान व्ययों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद में अधिष्ठान व्यय की विभिन्न मदों में बचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनेत्तर पक्ष में आय-व्ययक में रू0 287540 हजार (रू0 अट्ठाइस करोड़ पिचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) का प्राविधान है । इस धनराशि में मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2500 हजार भी सम्मिलित है। इस धनराशि को पृथक किये जाने पर बजट में प्राविधानित शेष धनराशि रू0 285040 हजार में से 50 प्रतिशत धनराशि रू0 142520 हजार (रू0 चौदह करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-390/एक-6-16-15(11)/2015, दिनांक 06-04-2016 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। इसके साथ ही अवशेष बची धनराशि रू0 142520 हजार में से मजदूरी मद में 21.00 लाख एवं प्रशिक्षण मद में अवशेष बची धनराशि रू0 50,000&00 (रू0 पचास हजार मात्र), शासनादेश संख्या-760/एक-6-15(11)/2015, दिनांक 17-8-2016 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इसके अलावा मद संख्या-03 मंहगाई भत्ता से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 275 हजार शासनादेश संख्या-809/एक-6-2016-15(12)/2016, दिनांक 17-8-2016 द्वारा मद संख्या-44 प्रशिक्षण एवं यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय में निर्गत किया गया है।

2- अत: अवशेष धनराशि जिसका लेखाशीर्षकवार तथा मदवार विवरण निम्नलिखित है, को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि रूपया हजार में ।

क्र;सं;	लेखाशीर्षक/मद	वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
	अनुदान संख्या-52, लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय समान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-099-राजस्व बोर्ड -03-राजस्व परिषद "			
01	वेतन	95075	47538	47537
03	मंहगाई भत्ता	129302	64651	64376
04	यात्रा व्यय	2000	1000	1000
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	350	175	175
06	अन्य भत्ते	17000	8500	8500
07	मानदेय	400	200	200
08	कार्यालय व्यय	7000	3500	3500
09	विद्युत देय	6000	3000	3000
10	जलकल/जल प्रभार	300	150	150
11	लेखन सामाग्री और फार्मो की छपाई	1500	750	750
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	600	300	300
13	टेलीफोन पर व्यय	1200	600	600
15	गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6000	3000	3000
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6000	3000	3000
17	किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	3000	1500	1500
18	प्रकाशन	50	25	25
22	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	13	6	7
42	अन्य व्यय	100	50	50
45	अवकाश यात्रा व्यय	600	300	300

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500	250	250
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1500	750	750
49	चिकित्सा व्यय	2000	1000	1000
51	वर्दी व्यय	250	125	125
	योग	**280740**	**140370**	**140095**

(धनराशि हजार रूपये में)

(रू0 चौदह करोड़ पन्चानवे हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में सम्बन्धित व्यय के केवल स्वीकृति चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय नई मदों के क्रियान्वयन में न किया जाये । साथ ही मदो में व्यय स्वीकृत धनराशि के भीतर ही सीमित रखा जाये ओर बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका और वित्तीय नियम संग्रहों के संगत नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4- उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय । इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर सूचना नियमित रूप से प्रतिमाह दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी जाये।

5- प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डस आफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त आहरण के स्थान पर आवश्यकतानुसार किश्तो में धनराशि का आहरण किया जाये।

8- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक-" 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर -099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद " के अधीन सुसंगत मदों व प्राथमिकता इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-2231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकार के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जय प्रकाश सगर
विशेष सचिव।

<u>संख्या-4त्र/2016/1058(1)/एक-6-2016 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
4- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।